अंचल अधिकारी का कार्यालय, तांतनगर।

आदेश फलक

नाम :– इन्द्रजीत गोप

पिता :– स्व० ननकु गोप

मौजा :– बेकुचो

वाद संख्या :– 18/म्यू०स्वा०प्र०/2022-23

दिनांक	आदेश	अभ्युक्ति
1	2	3

7/6/22

आज दिनांक 7/6/22 को आवेदक इन्द्रजीत गोप, पिता– स्व० ननकु गोप, ग्राम– बेकुचो के द्वारा मौजा दारा थाना सं०– 196 खाता सं०– 117, 118, 140 प्लॉट सं०– 1276, 1278, 1375, 1376, 1380, 1386 रकवा– ...., किस्म जमीन .... में विवाद के संबंध में 0.30, 0.17, 2.20, 0.04, 2.31, 0.28ए आवेदन किया गया है

अतः उक्त के आलोक में ईलाका मानकी/ग्रामीण मुण्डा, अंचल अमीन, राजस्व उप निरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक से जाँच प्रतिवेदन की मांग दिनांक 22/6/22 तक करें।

अभिलेख दिनांक– 22/6/22 को उपस्थापित करें।

ह० 7/6/22

अंचल अधिकारी

तांतनगर।

22/6/22

अभिलेख उपस्थापित।

ग्रामीण मुण्डा बेकुचो, राजस्व उप निरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक का जाँच प्रतिवेदन प्राप्त है जो निम्नवत इस प्रकार है-

(1) मौजा- बेकुचो थाना नं- 142 खाता 374 प्लॉट- 4127 रकबा- 0.05ए, किस्म जमीन मकान स्थल, प्लॉट- 4128 रकबा- 0.02ए स्वामित्व में नरेन्द्र गोप पिता- दुकल

गोप का नाम दर्ज है। एवं ~~खाता~~ मौजा-बेकचो खाता नं-145 खाता-377 प्लॉट नं 4130 रकबा-0.06ए० डीसमिल जमीन के पानो ग्वालिन, पति कुल्लु गोप के नाम दर्ज है।

(ii) दिनांक 27/3/022 एवं 03/4/22 को ग्रामीण मुण्डा बेकचो के अध्यक्षता में जमीन बंटवारा के संबंध में दो दिन बैठक की गई। उक्त ग्राम सभा में मौजा-बेकचो के खाता 374, 377 प्लॉट 4127, 4128 एवं 4130 रकबा क्रमश: 0.05 ए०, 0.02 ए० एवं 0.06 ए० कुल रकबा 0.13 ए० भूमि को (1) इन्द्रजीत गोप पिता-स्व० धनकु गोप (2) पहलु गोप पिता-स्व: नन्दलाल गोप (3) रामो गोप पिता-स्व० पहलु गोप एवं (4) चहान (अनिल) गोप पिता-स्व० रतु गोप के बीच बांटने के उद्देश्य ग्राम सभा की गई ग्राम सभा में मकान सहित का कुल जमीन 0.13 ए० भूमि जो चार हिस्से में बांटनी थी परन्तु ग्राम सभा द्वारा सभी हिस्सेदारों का भविष्य में भलाई एवं शांति-व्यवस्था को देखते हुए तीन बराबर हिस्से $3\frac{1}{2}$ डी० में बांटी गई ~~अ~~ ग्राम सभा में सर्वसहमति से निर्णय ली गई एक अन्य हिस्सेदार इन्द्रजीत गोप को अन्यत्र बारी खेती वाली भूमि दी जाये जो बंटवारा अभी नहीं हुआ है इस इन्द्रजीत गोप के द्वारा कोई आपत्ति जाहिर नहीं की गई एवं सर्वसहमति से ग्राम सभा द्वारा मकान सहित की भूमि को तीन हिस्से में बांटा गया।

ग्रामीण मुण्डा, राजस्व उप निरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक के जाँच प्रतिवेदन का अवलोकन किया गया और अगली कार्रवाई में दिनांक 6/7/022 को ग्रामीण मुण्डा, बेकचो, ग्रामीण मुण्डा द्वारा एवं दोनो पक्षो को उपस्थित होने के लिए सूचित किया गया।

अभिलेख दिनांक 6/7/22 को उपस्थापित करें।

22/06/22

122 अभिलेख उपस्थापित।

दिनांक - 6/7/22 को ग्रामीण मुण्डा कोकचो, ग्रामीण मुण्डा दारा एवं दोनों पक्ष उपस्थित हुए सुनवाई की प्रक्रिया प्रारंभ की गई सर्वप्रथम आवेदक (प्रथम पक्ष) इन्द्रजीत गोप का बयान लिया गया उन्होंने बताया कि दिनांक 27/3/2022 एवं 03/4/2022 को ग्राम सभा ग्रामीण मुण्डा कोकचो के अध्यक्षता में की गई जिसमें सर्वसहमति से हमारे मौजा - कोकचो के जमीन कुल मकान सहित वाले कुल जमीन 0.13 ए० को सर्वसहमति से चार हिस्से में बाटी जानी थी परन्तु तीन हिस्से में बांटी गई और निर्णय लिया गया कि चौथा हिस्सेदार को ग्राम - दारा के हमारे भूमि का बंटवारा के दौरान हिस्सा दिया जायेगा जिस पर मेरे द्वारा कोई आपत्ति नहीं की गई परन्तु अबतक मौजा - दारा का भूमि बंटवारा नहीं की गई और द्वितीय पक्ष पालु गोप, अनिल (चरन) गोप एवं रेखो गोप के द्वारा उक्त मौजा दारा के भूमि पर हल चलाकर खेती की जा रही है। द्वितीय पक्ष का बयान लिया गया इस द्वितीय पक्ष के तीनों लोगों के द्वारा जानकारी दी गई कि मौजा - दारा का जमीन हमारे पूर्वजों की जमीन है जिस पर वर्तमान में हमारे द्वारा खेती की जा रही है परन्तु बंटवारा के पश्चात हम अपने ही हिस्से में खेती करेंगे और बाकि हिस्से को छोड़ देंगे। दोनों पक्ष के बयान का अवलोकन किया गया। पुनः ग्रामीण मुण्डा दारा, अंचल अमीन, राजस्व उपनिरीक्षक और अंचल निरीक्षक से ग्राम दारा में स्थित भूमि का जाँच करने हेतु आदेश दी गई एवं जाँच प्रतिवेदन दिनांक 10/8/22 तक देने का निर्देश दी गई।

अभिलेख दिनांक 10/8/22 को उपस्थापित करें।

ह० 6/7/22

10/8/22	अभिलेख उपस्थापित। ग्रामीण मुण्डा, राजस्व उपनिरीक्षक, अंचल अमीन एवं अंचल निरीक्षक का जाँच प्रतिवेदन अप्राप्त है, उनके जाँच प्रतिवेदन की प्रतीक्षा करें। एवं अभिलेख दिनांक 7/9/22 को उपस्थापित करें। - [signature] 10/8/22
7/9/22	अभिलेख उपस्थापित। ग्रामीण मुण्डा द्वारा, राजस्व उपनिरीक्षक, अंचल अमीन एवं अंचल निरीक्षक का जाँच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ। जो निम्नवत उक्त प्रकार है - (i) मौजा - दारा थाना नं - 196 खाता - 117 प्लॉट ~~196, 1278~~ 1276, 1278, 1375, 1376, 1380, 1386 रकबा क्रमशः 0.50 ए, 0.17 ए, 2.20 ए, 0.01 ए, 2.31 ए एवं 0.28 ए कुल रकबा 5.27 ए है खतियान में पहलू गोड़, पिता - पहरा गोड़ का नाम दर्ज है। यह आवेदक के पूर्वजों की जमीन है। (ii) ~~खाता~~ मौजा - दारा थाना - 196 खाता - 118 प्लॉट 1281, 1378, 1379 रकबा क्रमशः 0.53 ए, 2.05 ए, 0.13 ए कुल रकबा 2.71 ए है खतियान में पानो ग्वालिन, पिता बुधु ग्वाला का नाम दर्ज है यह जमीन निर्विवाद जमीन है। (iii) मौजा - दारा थाना नं - 196 खाता - 140 प्लॉट 1279, 1280, 1377 रकबा क्रमशः 0.09 ए, 0.42 ए, 1.92 ए कुल रकबा 2.43 ए है खतियान में मुचीराम गोड़ पिता - मारकी गोड़ एवं पानो ग्वालिन पिता बुधु गोड़ का नाम दर्ज है। ग्रामीण मुण्डा, राजस्व उपनिरीक्षक, ~~और~~ अंचल अमीन एवं अंचल निरीक्षक के जाँच प्रतिवेदन का अवलोकन किया गया अगली सुनवाई के दिनांक 12/10/22 को ग्रामीण मुण्डा एवं दोनो पक्ष के उपस्थित होने के लिए सूचित किया गया। अभिलेख दिनांक 12/10/22 को उपस्थापित करें। - [signature] 7/9/22

.922 अभिलेख उपस्थापित।

दिनांक 12/11/22 को ग्रामीण मुण्डा उपस्थित हुए परन्तु दोनो पक्ष उपस्थित नही हो पाये। पुनः अगली सुनवाई में दिनांक 16/11/022 को उपस्थित होने के लिए सभी को सूचित किया गया।

अभिलेख 16/11/022 को उपस्थापित करें।

— [signature] 12/11/22

16/11/022 अभिलेख उपस्थापित।

ग्रामीण मुण्डा ~~केस्रो~~, ग्रामीण मुण्डा, दारा एवं दोनो पक्ष उपस्थित हुए सुनवाई की प्रक्रिया आरंभ की गई ग्रामीण मुण्डा दारा द्वारा जानकारी दी गई कि मौजा-दारा में दोनो पक्ष जमीन है वर्तमान में उस पर धान लगा हुआ है इसलिए ~~श्र~~ धान कटाई समाप्त होने के पश्चात नियमानुसार ग्रामीण मुण्डा से समन्वय स्थापित करते हुए सभी जगहों के बीच आपसमें के माध्यम से ~~बंटवारे~~ बंटवारा की जायेगी। प्रथम पक्ष और द्वितीय पक्ष दोनो से बारी-बारी से बयान ली गई दोनो पक्ष ग्रामीण ग्रामीण मुण्डा दारा की बातों पर सहमति जताई। अतः दोनो पक्ष को बंटवारा होने तक उक्त भूमि पर किसी प्रकार का खेती बारी नही करने का आदेश दी गई एवं शांति व्यवस्था बनाये रखने का निर्देश देते हुए सुनवाई प्रक्रिया समाप्त की गई।

— [signature] 16/11/22

Digitally signed by ANOJ KUMAR
Date: 2025.06.04 16:19:25 +05:30
Location: 192.168.158.171